

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चाँडिल कॉम्प्लेक्स/ईचा-गालुडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर,
जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, राँची/मुख्य अभियंता, रुपांकण, समग्र योजना एवं
जल विज्ञान, राँची/मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक
अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 13/10/22

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य सिंचाई, उप
मुख्य शीर्ष-01- मुख्य सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-02-स्वर्ण
रेखा बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट मुख्य शीर्ष 2700-मुख्य सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये
लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2700-मुख्य सिंचाई	01 मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 02-स्वर्णरेखा बाँध परियोजना	954.405

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि - रुपये नौ करोड़ चौवन लाख चालीस हजार पाँच सौ मात्र।

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक आगणन में आगणित राशि के उपरांत संशोधित बजट उपबंध रु. 18989.83 लाख (रु. एक सौ नवासी करोड़ नवासी लाख तिरासी हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
- सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।

(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

9. 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतन, 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी0 टी0 ई0-15/2013-14/170/बजट दिनांक 01.04.2014 एवं पत्रांक-26/बी0एस0जी0-01/2014/488/बजट दिनांक 18.12.2014 के आलोक में किया जायेगा।
10. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा।
11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय। अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरुद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
15. विभिन्न इकाईयों में आवंटित राशि में से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2023 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 135

राँची, दिनांक :- 13/10/22

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला-खरसाँवा/घाटशिला/देवघर/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 135

राँची, दिनांक :- 13/10/22

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2, राँची को Online Sanction निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(हरेंद्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-01-मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-02-स्वपरिखा बंध परियोजना

परिशिष्ट 1
पत्रांक 135 दिनांक 14/10/22 का अनुलग्नक

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2022-2023	विरुद्ध शीर्ष-01-वैतन एवं भूत			विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय			विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
		वैतन	एलटीडीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	व्यवसायिक सेवा	दूरभाष	बर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विधि प्रसार	कुल योग	अभियुक्ति	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	मुख्य अभियंता-ईचानावडीह कमलेख, आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	130.000 10.000 140.000	0.000 0.000 0.000	1.000 0.000 1.000	1.300 0.000 1.300	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.600	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.000 0.200	1.800 0.500 2.300	0.000 0.000 0.000	134.600	10.600	145.200			
2	खरकई बांध अंचल, चालिषागा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	106.000 30.000 136.000	0.000 0.000 0.000	0.600 0.350 0.950	0.300 0.000 0.300	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.200	0.500 0.500 1.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	107.700	30.850	138.550			
3	बराज अंचल-गालुडीह	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	136.000 0.000 136.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.200 0.200	0.300 0.400 0.700	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.500 1.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	136.900	1.100	138.000			
4	याचना एवं आयाजन अंचल, रौंकी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	213.000 70.000 283.000	0.500 0.000 0.500	1.125 0.375 1.500	1.000 0.200 1.200	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	1.500 0.500 2.000	0.100 0.100 0.200	217.325	71.175	288.500				
5	स्वर्ण रेखा नहर अंचल जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	174.000 35.000 209.000	0.400 0.000 0.400	0.000 0.500 0.500	0.500 0.500 1.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.500 0.000 0.500	0.700 0.000 0.700	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	176.300	36.000	212.300				
6	अपर निर्देशक नू-अर्जन एवं पुर्नवास स्वर्ण रेखा परियोजना आदित्यपुर-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	49.000 0.000 49.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.100 0.100	0.300 0.500 0.800	0.000 0.000 0.000	0.100 0.150 0.250	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.800 1.300	0.000 0.200 0.400	49.900	1.750	51.650				
7	आयाजन एवं मोनेटरिंग प्रमंडल - जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	291.000 110.000 401.000	0.000 0.000 0.000	0.600 0.000 0.600	0.800 0.000 0.800	0.000 0.000 0.000	0.100 0.050 0.150	0.000 0.000 0.200	0.700 0.000 0.700	0.400 0.000 0.400	293.800	110.050	403.850	376.300	152.650	528.950		
8	खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	369.000 135.000 504.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.500 0.500	0.600 0.500 1.100	0.000 0.000 0.000	0.200 0.150 0.350	5.000 15.000 20.000	1.000 0.500 1.500	0.500 0.000 0.500	0.000 0.000 0.000	0.150	299.375	0.150	299.525			
9	खरकई नहर प्रमंडल, चार्डवासा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	298.000 0.000 298.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.150 0.450	0.500 0.000 0.500	0.000 0.000 0.000	0.075 0.000 0.075	0.000 0.000 0.000	0.500 0.500 1.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	298.525						

(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेश्वर प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

135
13/10/22

वित्तीय वर्ष 2022-2023			विरुद्ध शीर्ष-01-वैतन एवं शीर्ष-02-यात्रा व्यय			विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां अन्य एवं मरम्मत		विरुद्ध शीर्ष-07-विधि प्रसार		राशि लाख रुपये में	
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	विषय कोड	वैतन	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	व्यावसायिक सेवा	दूरभाष	दर्दी	विरुद्ध व्यय	मोटरगाड़ियां	इंधन एवं मरम्मत	विधि प्रसार	कुल योग	अभिवृद्धि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
10	खरकई नहर प्रमंडल, राजनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	195.000 0.000 195.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.400 0.400	0.200 0.300 0.500	0.000 0.000 0.000	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.100 0.100	0.500 0.000 0.500	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	195.750 0.800 196.550			
11	खरकई बांध प्रमंडल सं०-1 मुसावनी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	145.000 25.000 170.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.500 0.500	0.400 0.200 0.600	0.000 0.000 0.000	0.050 0.060 0.110	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.800 0.800	0.100 0.000 0.100	0.100 0.000 0.100	145.550 26.550 172.110			
12	गुण नियंत्रण प्रमंडल जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	400.000 0.000 400.000	0.000 0.000 0.000	0.000 1.000 1.000	0.200 0.400 0.600	0.000 0.000 0.000	0.050 0.050 0.100	0.000 0.000 0.000	10.000 10.000 10.000	0.000 0.500 0.500	0.000 0.300 0.300	0.300 0.300 0.600	400.750 11.750 412.500			
13	नहर ऊपांकण प्रमंडल सं०-1 जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	315.000 0.000 315.000	0.000 0.000 0.000	0.150 0.150 0.300	0.500 0.300 0.800	0.000 0.000 0.000	0.120 0.070 0.190	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.200 0.400	0.200 0.200 0.400	315.970 0.720 316.690			
14	यात्रिक प्रमंडल, चाँदिल	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	222.000 5.000 227.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.500 0.500	0.200 0.500 0.700	0.000 0.000 0.000	0.000 0.050 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.500 0.500	0.500 0.500 1.000	0.000 0.050 0.050	0.050 0.050 0.100	222.700 7.050 229.750			
15	ऊपांकण प्रमंडल सं०-2 आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	227.000 90.000 317.000	0.500 0.000 0.500	0.500 0.300 0.800	0.200 0.000 0.200	0.000 0.000 0.000	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.500 1.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	228.750 90.800 319.550			
16	ऊपांकण प्रमंडल सं०-3 आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	259.000 0.000 259.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.600 1.100	0.500 0.200 0.700	0.000 0.000 0.000	0.150 0.150 0.300	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.800 0.800 1.600	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	261.750 0.950 262.700			
17	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-2 चाँदिल शिविर-डिमना	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	358.000 32.000 390.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.500 0.500	0.400 0.200 0.600	0.000 0.000 0.000	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.500 0.500	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	358.450 33.200 391.650			
18	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-4 गाल्डीह	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	252.000 0.000 252.000	0.000 0.100 0.100	0.600 0.200 0.800	0.200 0.400 0.600	0.000 0.000 0.000	0.050 0.050 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.300 0.300	0.300 0.300 0.600	253.150 0.750 253.900			
19	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-9 घाटशिला	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	264.000 45.000 309.000	0.000 0.000 0.000	0.800 0.200 1.000	0.600 0.500 1.100	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	1.000 1.000 2.000	0.600 0.000 0.600	0.600 0.000 0.600	266.600 45.700 312.300			

(हरेन्द्र कुमार)

(राजेश कुमार)

(प्रशांत कुमार)

(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेश कुमार)
उप सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

135
13/10/22

वित्तीय वर्ष 2022-2023			विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं मंत्		विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय							विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	विरुद्ध कोड	वेतन	एनटीपीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	व्यावसायिक सेवा	दूरभाष	बर्दा	विशुद्ध व्यय	मोटरगाड़ियां ईंधन एवं मरम्मति	विविध प्रभार	कुल योग	अभिवृत्ति					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
20	विशेष नू-अर्जन पद० स्वर्ण रेखा परियोजना आदिपुर-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	200.000 28.550 228.550	0.000 0.000 0.000	0.200 0.600 0.800	0.200 0.000 0.200	0.000 0.000 0.000	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.000 0.500	0.000 0.500 0.500	200.950 29.650 230.600						
21	विशेष नू-अर्जन पद० स्वर्ण रेखा परियोजना चाँदिल, पश्चिमी सिंहभूम	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	242.000 67.000 309.000	0.000 0.000 0.000	0.600 0.400 1.000	1.000 0.000 1.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.150 0.350	0.000 0.000 0.000	0.500 0.000 0.500	1.000 0.300 1.300	0.500 0.000 0.500	245.800 67.850 313.650						
22	विशेष नू-अर्जन पद०-3 स्वर्ण रेखा परियोजना भानगो-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	250.000 80.000 330.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.300 0.300	0.200 0.400 0.600	0.000 0.000 0.000	0.050 0.050 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.000 0.500	0.000 0.300 0.300	250.750 81.000 331.750						
23	स्वर्ण रेखा नहर प्रमंडल गांगुडीह	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	334.000 0.000 334.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.500 0.500	0.200 0.200 0.400	0.000 0.000 0.000	0.050 0.100 0.150	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.600 0.600	334.250 1.400 335.650						
24	स्वर्ण रेखा नहर प्रमंडल जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	360.000 140.000 500.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.500 0.800	0.600 0.200 0.800	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.800 0.200 1.000	0.000 1.000 2.000	362.900 141.900 504.800						
	अतिरिक्त आवंटन का योग		902.550	0.100	8.825	5.900	0.000	1.080	0.000	26.100	5.600	4.250	954.405						

आवंटित राशि- रुपये नौ करोड़ चौवन लाख चालीस हजार पाँच सौ मात्र।

नोट-व्यावसायिक सेवा प्राथमिक इकाई में आवंटित राशि विभागीय निदेश के आलोक में आउटसोर्सिंग से रखे गये कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के पारिश्रमिक का भुगतान के लिए है, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी को भुगतान होगा।

(हिरन कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव